

पु0क0/आर-2560-तीन/014



M-5121-17

श्रीमती किरण मिश्रा धर्म पत्नी श्री कृपा शंकर मिश्रा - आवेदिका
तह- सुदामा जिला रीवा (म.प्र.)

श्रीमती कुकली कर्मरहे
2- श्रीमती सुमना शर्मा अमरनाथ शर्मा से अनावेदिका गण
पुनस्थापन आवेदन पत्र बावत माननीय न्यायालय
द्वारा पारित अदम पैरवी आदेश दिनांक 1.2.01
रिक्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जानें।

अधिवक्ता श्री आर.एस.
शर्मा द्वारा 22.3.17

कलकत्ता कोर्ट
राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट) राया

मान्यवर,

पुनस्थापन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :---

यह कि उक्त निगरानी प्रकरण की तारीख पेसी दिनांक-

01-02-017 सहवन भूलबस अभिभाषक श्री आर.एस. शर्मा अंकित न किए जाने के कारण आवेदिका एवं अभिभाषक श्री आर.एस. शर्मा दिनांक 01-02-017 को उपस्थित नहीं हो पाये जिससे उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ

2- यह कि उक्त प्रकरण अभिभाषकीय भूल एवं त्रुटि के कारण खारिज हुआ है, तथा दिनांक 01-02-017 की तारीख पेसी आवेदिका को अभिभाषक श्री आर.एस. शर्मा नहीं दे पाये जिससे आवेदिका अनुपस्थित रही जो अनुपस्थिती सद्भाविक एवं क्षम्य है।

3- यह कि प्रस्तुत प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाना न्याय संगत है, अन्यथा आवेदिका अकारण न्यायदान से बेचिंत हो जावेगी। प्रस्तुत आवेदन समयावधि के अन्दर, सद्भाविक एवं शपथ पत्र से समर्थित है।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र पेश कर बिनय है कि, निगरानी प्रकरण पुनः उक्त प्रकरण नम्बर पर लिये जाने की कृपा करें।

दिनांक- 24/02/17
स्थान- रीवा


पार्थीया / आवेदिका

श्रीमती किरण मिश्रा धर्म पत्नी श्री

कृपा शंकर मिश्रा नि0ग्राम मगरा खुर्द तह0
सुदामा जिला रीवा मण्डल

M 5121-117 सीवा
किरण मिश्रा बृजकली

32

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25.4.17	<p>1- आवेदक की ओट से श्री आर.एस. शर्मा एड उप. आवेदक द्वारा यह अपील लखनौ की चारा 35(3) के तहत मूल प्रमाण क्रमांक R.2560-सीन114 अपने पेरपी दिनांक 1-2-17 को पुनर्विचार वित्त आवेदक प्रस्तुत किया गया। आवेदक के पुत्र शर्मा रम्या प्रमाण का अवलोकन किया / विचारेतरात मार्फत हित में प्रमाण क्रमांक R.2560-सीन114 पुनर्विचारित किया जाता है तदनुसार प्रमाण चालू किया जाये</p> <p>2- प्रमाण पत्रों से लगाए गए लेटर छ-6-11</p> <p style="text-align: right;"> 25/4/17</p>	<p>11</p> <p style="text-align: right;"></p>